राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015

टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141–2707679,ई–मेलः–rajscoutguide@yahoo.com

दिनांकः –28/2/18

क्रमांकः प. ( )रा.मु./2017–18/2073

सहायक राज्य संगठन आयुक्त,
मण्डल मुख्यालय,
समस्त।

विषय :– ग्रामीण रोवर/रेंजर भारत दर्शन – द्वारिका (गुजरात)

महोदय,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड द्वारा राज्य स्तर पर ग्रामीण रोवर/रेंजर भारत दर्शन कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 21 से 25 मार्च, 2018 तक द्वारिका (गुजरात) में किया जा रहा है। विस्तृत सूचनाएं नियमानुसार है :–

1. **गतिविधि का नाम** – ग्रामीण रोवर/रेंजर भारत दर्शन – द्वारिका (गुजरात)

2. **तिथियाँ** – दिनांक 21 से 25 मार्च, 2018 तक।

3. **पंजीकरण शुल्क** – 100 रू. प्रति सम्भागी। जो शिविर में पहुचते ही जमा करना होगा।

4. **पहुँच** – सभी चयनित सम्भागियों को दिनांक 21 मार्च, 2018 को प्रातः 10.00 बजे तक द्वारिका रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर श्री जितेन्द्र भाटी, सर्कल ओर्गेनाइजर (स्काउट) को अपनी उपस्थिति देनी होगी।

5. **सम्पर्क** – श्री बाबू सिंह राजपुरोहित, ए.एस.ओ.सी. स्काउट – 8003097172
   श्री जितेन्द्र भाटी, सी.ओ. स्काउट आबू पर्वत – 8003097176
   श्री योगेन्द्र सिंह, सी.ओ. स्काउट बाडमेर – 8003097199
   श्रीमती विजयलक्ष्मी, सी.ओ. गाइड, दौसा – 8003097066
   श्रीमती प्रीति, सी.ओ. गाइड, कोटा – 8003097582

6. **यात्रा** – सभी सम्भागियों को इसके लिए अपने मण्डल मुख्यालय से सम्पर्क कर अपने निकटतम रेल्वे स्टेशन से द्वारिका तक की वापसी यात्रा का रेलवे कन्सेशन बनवाया जाकर उसी के तहत यात्रा करनी चाहिए। उन्हें कन्सेशन दर से द्वितीय श्रेणी रेल किराया के टिकिट की फोटो कॉपी/बस का मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान कार्यक्रम के अंतिम दिन किया जा सकेगा।

7. **वापसी यात्रा** – सभी सम्भागियों की वापसी यात्रा दिनांक 25 मार्च, 2018 को सांय अहमदाबाद से सम्भव हो सकेगी। अतः उसी के अनुसार अपनी वापसी यात्रा हेतु कार्यक्रम का निर्धारण करावें।

8. **आवंटित कोटा** – प्रति मण्डल 5 ग्रामीण रोवर एवं 5 ग्रामीण रेंजर की संख्या निर्धारित की जाती है। किसी मण्डल से निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसका कोटा दूसरे मण्डल को आवंटित कर दिया जावेगा।

9. **योग्यता** – 1. पंजीकृत ग्रामीण रोवर क्रू/रेंजर टीम के सक्रिय सदस्य हो।

   2. जिनकी आयु 16 से 25 वर्ष हो।

   3. शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो तथा शिविर में होने वाले शारीरिक श्रम को वहन करने की क्षमता रखते हों।

10. **गणवेश** – **अ. ग्रामीण रोवर्स के लिए** –सफेद कमीज (जिस पर दो ढक्कनदार जेब, प्रवेश बैज, विश्व बन्धुत्व बैज एवं शोल्डर स्टेप लगे हों) केसरिया साफा, देशी जूतियां, मेरून रंग का कमरबंध, मेरून स्कार्फ, वोगल आदि।

11. **पंजीकरण** – सभी सम्भागियों को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 12 मार्च, 2018 तक आवेदन पत्र राज्य मुख्यालय को भिजवाना होगा।

12. **अन्तिम सूचना** – प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर राज्य मुख्यालय द्वारा चयनित ग्रामीण रोवर/रेंजर की सूची जारी की जावेगी। इस सूची के अतिरिक्त किसी भी रोवर/रेंजर को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

13. **आवश्यक सामग्री** – सभी सम्भागियों को मौसम के अनुसार बिस्तर, बदलने के कपड़े, दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री, स्वयं के खाने–पीने के बर्तन, तेल, कांच, कंघा, साबुन, मंजन, **आदि साथ लाना आवश्यक है।** इसी के साथ शिविर ज्वाल कार्यक्रम हेतु अपनी स्थानीय संस्कृति की वेश भूषा, वाद्ययन्त्र, लोक गीत एवं लोक नृत्य की तैयारी करके आवें।

14. **भारत दर्शन कार्यक्रम** – **अ.** इस कार्यक्रम के तहत द्वारिका, भेट द्वारिका, सोमनाथ, जूनागढ, सताधार, अहमदाबाद आदि स्थानों का बस द्वारा भ्रमण कराया जावेगा।

ब. ग्रामीण रोवर/रेंजर को गुजरात के कृषि एवं लघु उद्योग कार्यक्रमों से अवगत कराया जावेगा।

स. ग्रामीण रोवर/रेंजर के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति अवार्ड पाठ्यक्रम की जानकारी दी जावेगी।

द. ग्रामीण उत्थान, स्वच्छ भारत मिशन, कोटा घोषणा, पर्यावरण जन चेतना कार्यक्रमों में ग्रामीणों की भागीदार विषयों पर चर्चा की जावेगी।

15. **विशेष** –
1. प्रस्थान से पूर्व अपने जिला/मण्डल मुख्यालय की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
2. सम्भागी अपने साथ गहने, भारी सामान तथा आवश्यकता से अधिक नकद राशि नहीं लावें।
3. सम्भागियों के साथ किसी भी पारिवारिक सदस्य को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

अतः उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर अपने मण्डल क्षेत्र के पंजीकृत ग्रमीण रोवर क्रू/रेंजर टीम से आवेदन पत्र शीघ्र भिजवाने का श्रम करावें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)

क्रमांकः प. ( )रा.मु./2017–18/2074-80 **दिनांकः** – 28/2/18

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय स्टेट चीफ कमिश्नर महोदय, जयपुर।
2. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।
3. राज्य संगठन आयुक्त (गाइड), राज्य मुख्यालय, जयपुर।
4. मण्डल मुख्यायुक्त/मण्डल सचिव, मण्डल मुख्यालय, समस्त।
5. सर्कल ओर्गेनाइजर (स्काउट/गाइड) जिला मुख्यालय, समस्त।
6. लेखा शाखा, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, राज्य मुख्यालय, जयपुर।

(हस्ताक्षर)

राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)